न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –71/2019

अपीलाण्टस्	बनाम	रेस्पोडेण्ट
बक्साराम पुत्र शिवलाल जाति जाट, निवासी आकेली अ तहसील मेड़ता, जिला नागौर।		1. नायब तहसीलदार मेड़ता, 2. पटवारी हल्का, कात्यासनी, तहसील मेड़ता।

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट्स की ओर से श्याम कुमार व्यास।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक 21-11-2019

अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 75 के तहत नायब तहसीलदार मेड़ता द्वारा मुकदमा नम्बर 04/2019 अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 10.10.2019 से असंतुष्ट होकर दिनांक 17.10.2019 को प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि पटवारी हल्का कात्यासनी ने भू अभिलेख निरीक्षक मेड़ता से एक हस्ताक्षरयुक्त राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत इस आशय की रिपोर्ट दिनांक 3.7.2019 की प्रस्तुत की कि ग्राम आकेली अ में खसरा नं. 532 किस्म गैर मुमकिन गोचर में रकबा 0.35 हैक्टयर भूमि पर रजका बाड़ बनाकर बक्साराम पुत्र शिवलाल जाति जाट निवासी आकेली ए द्वारा संवत 2076 में नाजायज कब्जा कर लिया है। पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर गैर सायल बक्साराम को नोटिस जारी किया जो गैर सायल से तामिल होकर आया और शामिल पत्रावली किया गया। गैर सायल ने दिनांक 16.7.19 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नोटिस में वर्णित विवादित जमीन के संबंध में वर्तमान में राजस्व मण्डल अजमेर में प्रकरण विचारधीन है इस आधार पर राजस्व मण्डल के निर्णय तक कार्यवाही रोकने की मांग की। तत्पश्चात् राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 30.08.19 की प्रति पेश की गई। जिस पर गैर सायल को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने दिनांक 20.09.19 को उपस्थित होकर जबाब पेश करने हेतु समय मांगा। दिनांक 26.9.16 को गैर सायल की ओर से जबाब पेश किया गया। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.10.19 को गैर सायल के विरुद्व भौतिक बेदखली व जुर्माना का आदेश पारित किया। जिस आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलांट यह अपील पेश की है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील पूर्णतया अवैध एवं विधि विरुद्व ढंग से पारित किया गया होने से काबिल खारिज किए जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य सबूतों पर गौर किए बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया है जो काबिल निरस्त किए जाने योग्य है।

विवादित खेत खसरा नं. 532 जिसके साबिका खेत खसरा नं. 319 है। उक्त खेत की किस्म पूर्व में बारानी तृतीय थी, जिसकी 0.35 हैक्टर भूमि पर अपीलांट के पिता के समय से पिछले 60 वर्षो से लगातार कब्जा काश्त रहता चला आया है। जिसके लिये अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष बिगौड़ी व जुर्माने की रसीदे पेश की, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त बिन्दु को नजरअंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है जो काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

साबिका खेत खसरा नं. 319 की किस्म जमाबंदी संवत् 2011 से 2014 में बारानी तृतीय दर्ज थी। इस कारण राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक पं. 9(6) राज. 6/2000/1 जयपुर दिनांक 10.1.13 के अनुसार भूमि अपीलांट के पक्ष में नियमन योग्य थी, किन्तु इस भूमि की किस्म

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

को संवत् 2015 से 2018 की जमाबंदी में बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के भूमि की किस्म परिवर्तन कर गै.मु. गौचर दर्ज कर दी गई। जो इन्द्राज प्रारंभ से ही अवैध व शून्य है। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण बिन्दु पर बिना किसी प्रकार का गौर किये आदेश जैर अपील पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

विवादित भूमि प्रारंभ से ही बारानी तृतीय काबिल काश्त भूमि रही है जिस पर अपीलांट का अपने पिता के समय से ही लगातार कब्जा काश्त रहता चला आया है जिसे समर्थन में खसरा परिवर्तनशील संवत् 2043 से 2060 भी पेश किये गये किन्तु उक्त दस्तावेजों को पूर्णरुप से नजरअंदाज करते हुए किये गये किन्तु उक्त दस्तावेजों को पूर्णरुप से नजरअंदाज करते हुए जो आदेश जैर अपील पारित किया गया है काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट मात्र को आधार मानकर आदेश जैर अपील पारित कर दिया जबकि रिपोर्ट के समर्थन में हल्का पटवारी के बयान लिये जाने चाहिए थे। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सामान्य सिद्वांतों के विपरीत जाकर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये आदेश जैर अपील पारित किया है जो काबिल निरस्त किए जाने योग्य होने का कथन करते हुऐ वकील अपीलान्ट अपील अपीलान्ट स्वीकार कर न्यायालय नायब तहसीलदार मेड़ता द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.10.2019 को निरस्त करने तथा नायब तहसीलदार मेड़ता को वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट के हक में नियमन किये जाने का आदेश पारित करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार श्री कुनन्दसिंह आचीणा ने बहस में कथन किया अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर नाजायज कब्जा अधिनस्थ न्यायालय के रिकार्ड से पूर्णतया साबित है। अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर उसका नाजायज कब्जा नहीं होने बाबत कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं की है, बल्कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त भूमि पर पुराना कब्जा होना बताते हुऐ नियमन योग्य बताया है। हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि कि किस्म गोचर है, जो नियमन योग्य भी नहीं होने का कथन करते हुऐ अपील अपीलान्ट ,खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया सम्पूर्ण रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में भू–अभिलेख निरीक्षक मेड़ता एवं पटवारी कात्यासनी की रिपोर्ट दिनांक 03.07.2019 अनुसार ग्राम आकेली–अ के खसरा नम्बर 532 किस्म गैर मुमकिन गोचर के रकबा 0.35 हैक्टयर भूमि पर अपीलान्ट द्वारा रजका बाड़ बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुऐ अपीलान्ट द्वारा किये गये कथनों पर पूर्ण रूप से विवेचन करते हुऐ निर्णय जैर अपील पारित किया है। अपीलान्ट ने वादग्रस्त खसरा नम्बर 532 जिसके साबिका खसरा नम्बर 319 एवं किस्म बारानी तृतीय बताते हुऐ उक्त भूमि के 0.35 हैक्टयर भूमि पर अपीलान्ट के पिता के समय से पिछले 60 वर्षों लगातार कब्जा रहता चला आना बताया है। परन्तु वकील अपीलान्ट ने उक्त वादग्रस्त भूमि पर विधिक रूप से मालिकाना हक के अधिकार बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है। इससे यह स्पष्ट रूप से साबित है कि अपीलान्ट का उक्त वादग्रस्त भूमि पर नाजायज कब्जा है। वकील अपीलान्ट ने साबिका खेत खसरा नम्बर 319 की किस्म जमाबन्दी संवत् 2011 से 2014 में बारानी तृतीय दर्ज होना बताते हुऐ राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र दिनांक 10.1.13 के अनुसार उक्त भूमि अपीलान्ट के पक्ष में नियमन योग्य होना, परन्तु संवत् 2015 से 2018 की जमाबन्दी में बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के भूमि की किस्म परिवर्तन कर गै.मु. गोचर दर्ज करने कथन करते हुऐ निर्णय जैर अपील को निरस्त किये जाने योग्य बताया है। उक्त संबंध में अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में विस्तृत रूप से विवेचन किया है। संवत् 2011 से 2014 में अगर भूमि की किस्म बारानी थी, लेकिन वह सरकार भूमि दर्ज थी, अपीलान्ट द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि के मालिकाना हक, स्वामित्व संबंधी दस्तावेज अधिनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये है। संवत् 2015 से लगातार अर्थात 60 वर्षों से उक्त वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में किस्म गैर मुमकिन गोचर दर्ज है। अपीलान्ट के अनुसार बिना किसी सक्षम आदेश के उक्त वादग्रस्त भूमि की किस्म बारानी से गोचर दर्ज कर दी गई, तो अपीलान्ट को उक्त संबंध में सक्षम स्तर पर विधि सम्मत कार्यवाही करनी चाहिए थी। वर्तमान में उक्त वादग्रस्त भूमि की किस्म गोचर दर्ज है, जो आर.टी.एक्ट की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

आती है एवं यह भूमि नियमन/आवंटन की श्रेणी में भी नहीं आती है। ***निगरानी/एल. आर/2885/2006/नागौर/मूलनाथ बनाम सरकार में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 24.04.2017 अनुसार "जहां तक पुराने कब्जे के आधार पर नियमन का प्रश्न है तो धारा 91 की कार्यवाही में पुराने कब्जे के आधार पर नियमन के संबंध में किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है, इसके लिए पृथक से कार्यवाही ही सम्भव है।"*** इस प्रकार धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही एवं नियमन की कार्यवाही पृथक–पृथक कार्यवाहियां है। हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान किस्म गोचर है, जो भूमि नियमन योग्य भी नहीं है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील विधि सम्मत होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना विधि सम्मत नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर

कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2019.11.22 15:51:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: